

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1836 / 2010 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राज. जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
22 गोदाम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री डी. कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10 / 02 / 2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 182 / आरएसटी / 2003–2004 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1998–99 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1995 के नियम 34 सपष्टित धारा 9(2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.01.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1998–99 का मूल कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) सपष्टित धारा 9(2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत दिनांक 27.09.2001 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर जयपुर के आदेश दिनांक 31.07.2003 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में नियम 34 सपष्टित धारा 9(2) के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2004 को पारित किया गया। उक्त आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण निर्देशों के अतिरिक्त आलौच्य अवधि में

मृगी

लग्नातार.....2

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में बिक्रीत बिटुमिन रूपये 2,96,20,973.94 पर 12 प्रतिशत की दर से करदेयता होने से, तथा मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.9.2001 में त्रुटिवश 10 प्रतिशत की दर से कर, अधिभार का आरोपण होने से, 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर रूपये 5,92,419/-, सरचार्ज रूपये 71,080/- एवं ब्याज रूपये 7,66,354/- कुल रूपये 14,29,868/- का आरोपण किया गया।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2010 से इस आधार पर स्वीकार की गई कि प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में नियम 34 के तहत पारित किये जाने वाले आदेश में केवल प्रतिप्रेषण निर्देशों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया जा सकता है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2001 को चुनौती दिये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुसरण में ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 34 के तहत आदेश पारित करते हुए, मूल कर निर्धारण आदेश में त्रुटिवश बिटुमिन की बिक्री पर कम दर से करारोपण की त्रुटि को संशोधित करते हुए, 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त करारोपण की कार्यवाही की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की समुचित विवेचना किये बिना ही प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के मूल आदेश दिनांक 27.09.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा बिटुमिन पर आरोपित करारोपण की पुष्टि की गयी है तथा दोहरे करारोपण के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों की जांच उपरान्त पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रतिप्रेषित आदेश में बिटुमिन से सम्बन्धित किसी प्रकार का ना तो विवाद था एवं ना ही

5/2010

लगातार.....3

कोई निर्देश दिये गये थे। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 34 के तहत पारित आदेश में प्रतिप्रेषित निर्देशों से परे जाकर आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1991) 82 एस.टी.सी. 83 (राज.) एवं माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1984) 57 एस.टी.सी. 89 (कर्नाटक) को उद्धरित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्यययन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1998–99 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2001 को पारित किया गया, जिसमें व्यवहारी द्वारा बिक्रीत बिटुमिन पर 10 प्रतिशत की दर से कर एवं तदनुसार सरचार्ज का आरोपण किया गया है। इसके साथ ही अन्य बिन्दुओं पर भी करारोपण किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश को अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर जयपुर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 31.07.2003 में बिटुमिन पर किये गये करारोपण की पुष्टि की गयी तथा दोहरे करारोपण के सम्बन्ध में व्यवहारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 31.07.2003 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा बिटुमिन के विक्रय के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित नहीं किया गया है। केवल दोहरे करारोपण के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में नियम 34 के तहत पारित किये गये आदेश में बिटुमिन के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाना प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध है।

8. इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त (1984) 57 एस.टी.सी. 89 आर.पी.एम. श्रीनिवासलू एण्ड ब्रदर्स बनाम दी स्टेट ऑफ कर्नाटक में निम्न व्यवस्था दी गयी है :—

"Held, on the facts and circumstances of the case, that the remand order could not be construed to be an open remand. Therefore the Commissioner of Commercial Taxes erred in holding otherwise and the order of the Deputy Commissioner must be restored."

9. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1991) 82 एस.टी.सी. 83 राधेश्याम राजेन्द्र कुमार बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"Held, (i) that the scope of enquiry by the assessing authority under the order of remand was limited. According to the directions issued to the assessing authority, he was only to assess the petitioner on the sales between February 3, 1983 to March 31, 1983. The appellate authrotiy while remanding the case to the assessing authority restricted the jurisdiction of the assessing authority, indicating the specific area to which the fresh assessment was to be confined and, thus, limited the jurisdiction of the Assesstant Commercial Taxes Officer to assess the petitioner for that period only. It was not open to the Assistant Commercial Taxes Officer to proceed to determine the entire turnover of the petitioner for the assessment year 1982-83. The order passed by the assessing authority was, thus, beyond his jurisdiction;"

10. माननीय न्यायालयों के उक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार केवल उसी सीमा तक आदेश पारित करने हेतु है, जिस हेतु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रतिप्रेषण निर्देशों से परे जाकर आदेश पारित किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी का विवादित आदेश अन्तर्गत नियम 34 राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 सपष्टित धारा 9(2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम अपारस्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 26.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

नोट (पुरी)
19.02.15
(मनोहर पुरी)
सदस्य

सुनील शर्मा
सदस्य